



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247107
CG-DL-E-06072023-247107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

आ.अ. 21(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 06 जुलाई, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
गोवा	श्रीमती नम्रता उलमान, सचिव, गोवा विधान मंडल सचिवालय	श्री हरक्युलस नोरोन्हा, संयुक्त सचिव, गोवा विधानसभा सचिवालय

गुजरात	श्रीमती रीटा महेता, सचिव (प्रभारी), गुजरात विधान मंडल सचिवालय	श्री एम. एच. करंगिया, उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
पश्चिम बंगाल	श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव-सह- समिति अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्री शांतनु दास, उप सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा

[फा. सं. 318/रा.स.-मल्टी/2023 (2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2023

O.N. 21(E).— In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 06th July, 2023: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Goa	Smt. Namrata Ulman, Secretary, Goa Legislature Secretariat.	Shri Hercules Noronha, Joint Secretary, Goa Legislature Secretariat
Gujarat	Smt. Reeta Mehta, Secretary (I/C), Gujarat Legislature Secretariat	Shri M.H. Karangiya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
West Bengal	Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary -cum- Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly.	Shri Santanu Das, Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly

[F. No. 318/CS-Multi/2023(2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.